न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2025/66 दायरा दिनांक : 07.04.2025

उनवान

नाथी बाई उम्र 65 साल पुत्री अमरलाल बेवा हीरालाल, जाति धाकड, निवासी बमोरीकलां, तहसील मांगरोल, जिला बांरा राजस्थान मृतक जर्ये कायम मुकामान –

1. कालूलाल उम्र 46 पुत्र नाथी बाई बेवा हीरालाल, जाति धाकड, निवासी बमोरीकलां, तहसील मांगरोल, जिला बांरा राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1. मूलचन्द आयु 60 साल
2. मदनलाल आयु 55 साल
3. धनराज उम्र 40 साल
4. बलराम उम्र 35 साल
5. राधकिशन उम्र 32 साल
   पिसरान फूलचन्द जाति धाकड निवासीगण बमोरी कलां तहसील मांगरोल जिला बारां
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मांगरोल जिला बांरा राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री लक्ष्मण सिंह गौड अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री कमलदीप सिंह हाडा अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 19.08.2025

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 56/2014/दावा जीसीएमएस संख्या 2014/00315 निर्णय दिनांक 19.12.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंटगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम बमोरीकलां, तहसील मांगरोल में खसरा नं. 160 रकबा 1 बीघा, 16 बिस्वा, खसरा नं. 161 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं. 162 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं. 164 रकबा 1 बीघा, खसरा नं. 165 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नं. 166 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 471 रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 507 रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 876 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 34 बीघा 9 बिस्वा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

खातेदार अमरलाल, धूली लाल पिसरान घनश्याम के खाते दर्ज है । संवत 2026 से 2029 तक उपरोक्त वर्णित आराजी अमरलाल घासीलाल के खाते में दर्ज चली आ रही है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल ने अपने निर्णय दिनांक 19.12.2024 से काउंटर क्लेम प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को आंशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनाक 19.12.2024 न्याय संचिका में प्राप्त तथ्यों से विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि आराजी वाके ग्राम बमोरीकलां, तहसील मांगरोल में स्थित हाल खसरा नम्बर 653 रकबा 0.90 हेक्टर, खसरा नम्बर 654 रकबा 0.81 हेक्टर, खसरा नम्बर 1112 रकबा 0.09 हेक्टर, खसरा नम्बर 1288 रकबा 0.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 1289 रकबा 0.19 हेक्टर, खसरा नम्बर 1307 रकबा 0.14 हेक्टर, खसरा नम्बर 1308 रकबा 0.27 हेक्टर कुल किता 7 रकबा 2.55 हेक्टर जो कि वर्तमान मे अपीलान्ट के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है जिस पर अपीलान्ट काबिज काश्त है। इस कारण उक्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट का कब्जा मानने में कानूनी त्रुटि की है एवं रेस्पोडेन्ट का कब्जा मानकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने ही अपीलान्ट के विरूद्ध रिकॉर्ड की यथास्थिति का आदेश पारित कर दिया गया जो कि त्रुटि पूर्ण है। जबकि अपीलान्ट द्वारा सम्पूर्ण आराजी पर तहसीलदार को रिसवीर नियुक्त किये जाने हेतु सहायता चाही गयी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट को न्याय दिलवाये जाने हेतु आराजी पर रिसीवर नियुक्त किया जाना चाहिए था, केवल मात्र कब्जे के आधार पर रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया है जो कानूनी भूल है। जबकि वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर की आराजी अपीलान्ट के खाते दर्ज चली आ रही है। जमाबन्दी एवं समस्त रिकॉर्ड में अपीलान्ट का ही नाम दर्ज चला आ रहा है। लेकिन रेस्पोडेन्ट उक्त आराजी पर ताकत के बल पर काश्त करते चले आ रहे है एवं आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड की यथास्थिति का आदेश पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेन्ट को न तो कोई वाद कारण उत्पन्न हुआ और न ही किसी प्रकार की कोई रेस्पोडेन्ट को अपरिमित क्षति हुई है क्योंकि वर्तमान में रेस्पोडेन्ट का आराजी पर कब्जा होने से यथास्थिति का आदेश पारित किया है। जबकि अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी पर रिसीवर कायम करवाये जाने हेतु प्रार्थना की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने आराजी पर रिसीवर कायम नहीं कर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 19.12.2024 को अपास्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 26.03.2025 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि रेस्पोडेंटगण ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिसमें रहन, बेचान, रिकार्ड की यथास्थिति का निर्णय पारित हुआ। विवादित आराजी घनश्याम की पुश्तैनी आराजी थी। घनश्याम के तीन पुत्र लक्ष्मीनारायण, अमरलाल व बिरधीलाल उर्फ धूलीलाल हुए, तीनों का स्वर्गवास हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावा मय काउंटर क्लेम पेश किया। लक्ष्मीनारायण हजारी के गोद चला गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुने बिना ही निर्णय पारित कर दिया। घनश्याम का फौती नामान्तरकरण अमरलाल की एक मात्र पुत्री नाथी बाई थी। नाथीबाई का पुत्र कालूलाल अपीलांट है। बिरधीलाल उर्फ धूलीलाल ला औलाद फौत हुआ। रेस्पोडेंट का कथन है कि अमरलाल ने अपनी आराजी बेचान कर दी और बिरधीलाल उर्फ धूलीलाल की आराजी नाथीबाई के खाते दर्ज है। कालूलाल के नाम जो नामान्तरकरण दर्ज हुआ उसे खारिज करने की अपील रेस्पोडेंट ने की जो अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19.12.2024 से खारिज की। वादग्रस्त आराजी का गोद चले जाने से अधिकार नहीं है हम वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय गलत है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 160, 161, 162, 164, 165, 166, 471, 507, 876 कुल किता 9 कुल रकबा 34 बीघा 9 बिस्वा खातेदार अमरलाल, बिरधीलाल उर्फ धूली लाल पिसरान घनश्याम के खाते दर्ज है। अमरलाल वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 507 रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा को काश्त करते थे। वादग्रस्त आराजी का बेचान दिनांक 13.04.1964 को किशन लाल पुत्र भैरूलाल को किया जिससे उसके खातेदारी अधिकार समाप्त हो गये। अधीनस्थ न्यायालय में विक्रय पत्र की प्रति हमने पेश की है। बिरधीलाल उर्फ धूलीलाल अन्य वादग्रस्त आराजी काश्त करते थे। उन्होंने दिनांक 11.12.1959 को वादग्रस्त आराजी फूलचन्द को रहन की। तभी से वादग्रस्त आराजी फूलचन्द काश्त करते चले आ रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में रहन का स्टाम्प पेश किया है। नकल जमाबंदी संवत 2015–2042 में नाम दर्ज हुआ। दौराने

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

सैटलमेंट नाथीबाई का नाम दर्ज हुआ। हमने घोषणा का दावा 2014 में किया जिसमें स्टे जारी है। स्टे रहने से अपीलांट का नामान्तरकरण खुला। नामान्तरकरण की अपील खारिज हुई। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल में केवल मूल वाद जैरकार है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंटगण द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दावा पेश कर दावे के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण के दादा लक्ष्मीनारायण तीन भाई लक्ष्मीनारायण, अमरलाल व बिरधीलाल उर्फ धूलीलाल है जिनमें से धूलीलाल उर्फ बिरधीलाल लाऔलाद फौत हुए थे। अमरलाल के एक मात्र पुत्री अप्रार्थी कम 1 है। लक्ष्मीनारायण के फूलचन्द व फूलचन्द के पुत्र प्रार्थीगण हैं। राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत 2018 से 2021, जमाबंदी सम्वत 2022 से 2025, जमाबंदी सम्वत 2026 से 2029 ग्राम बमोरीकलां, तहसील मांगरोल के अनुसार कुल किता 9 कुल रकबा 34 बीघा 9 बिस्वा खातेदार अमरलाल, धूलीलाल पिसरान घनश्याम के खाते दर्ज रिकार्ड है। धूलीलाल उर्फ बिरधीलाल ने अपने हिस्से की आराजी कुल किता 7 कुल रकबा 15.12 बीघा दिनांक 11.12.1959 को फूलचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण, जाति धाकड को गिरवी रख दी थी। उक्त रहन की आराजी कुल किता 7 कुल रकबा 2.55 हेक्टर वर्तमान में अप्रार्थी नाथीबाई के खाते में दर्ज हो रही है जबकि कब्जा काश्त सम्वत 2015 से ही प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पूर्व उनके पिता का चला आ रहा है। आराजी का लगान व अन्य राजस्व कर भी प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा ही अदा किये गये व आज भी प्रार्थीगण कर्ता पिलाई आदि जमा कराते आ रहे हैं। प्रार्थीगण लगभग 50–52 वर्षों से अप्रार्थी कम 1 के खाते में दर्ज आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं और खातेदार कृषक हो चुके हैं। प्रार्थीगण का प्राईमाफेसी केस है। प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार परिपक्व हो चुके हैं अगर आराजी का रहन, बेचान अप्रार्थीया द्वारा कर दिया गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावे कि दौराने वाद आराजी का रहन, बेचान न करें तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न तो स्वयं उत्पन्न करें, न अपने किसी प्रतिनिधि से करावे।

अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी कम 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मय काउंटर प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में सजरा अस्वीकार है। घनश्याम के 4 पुत्र थे, प्रथम मोतीलाल जो नाना के ग्राम लाडाहेडी, तहसील पीपल्दा गोद चला गया था, द्वितीय पुत्र लक्ष्मीनारायण हजारीलाल धाकड ग्राम बमोरीकलां के गोद चला गया था, सजरा में धूलीलाल का नाम गलत दर्ज किया है इस नाम का व्यक्ति परिवार में ही नहीं था। धूलीलाल उर्फ बिरधीलाल ने कोई जमीन रहन नहीं रखी थी क्योंकि बिरधीलाल ला औलाद होने से अप्रार्थी कम 1 ही प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी को शामलाती रूप से काश्त करते थे वादग्रस्त आराजी रहन होने या रहन विल कब्जे का कोई नोट प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में नहीं है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार रहन विहित अवधि पर स्वतः ही समाप्त हो जाता है। 12–15 वर्षों तक अप्रार्थीया कम 1 ने स्वयं अपने पुत्र कालूलाल के साथ काश्त करती थी। इसके पश्चात किशनपुरा आने जाने के कारण काश्त व्यवस्था सुचारू नहीं चलने के कारण अप्रार्थी कम 1 ने प्रार्थी कम 1 मूलचन्द को मुनाफा काश्त में जमीन दी जिसका मुनाफा प्रार्थी कम 1 द्वारा सन् 2010 तक दिया गया अप्रैल, 2011 में अप्रार्थी कम 1 द्वारा मुनाफा मांगे जाने पर उसके साथ गाली गलौच वं मारपीट पर अतारू हुए जिसकी रिपोर्ट अप्रार्थी ने थाना मांगरोल में की, वहां पर कार्यवाही नहीं होने पर श्रीमान् जिला कलेक्टर को प्रस्तुत की गई फिर भी जिसके बाद से प्रार्थी कम 1 द्वारा मुनाफा काश्त राशि अदा नहीं की तथा आराजी को अपने कब्जे में लेकर अप्रार्थी कम 1 को अवैध रूप से बेदखल कर दिया। प्रार्थीगण का कथन है कि 50–55 वर्षों से आराजी पर काबिज रहने का किया गया है लेकिन प्रार्थीगण द्वारा वाद प्रस्तुति देरी से की गयी है प्रार्थना पत्र बेरून मियाद होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र मय काउंटर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमाया जावे व अप्रार्थी कम 1 का काउंटर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बमोरीकलां स्थित आराजी कुल किता 7 कुल रकबा 2.55 हेक्टर पर तहसीलदार मांगरोल को रिसीवर नियुक्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल ने अपने निर्णय दिनांक 19.12.2024 में अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से अंकित किया कि प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र मय काउंटर प्रार्थना पत्र जवाबुल जवाब, बहस वकील पक्षकारान सलंग्न दस्तावेजों राजस्व रेकार्ड एवं अस्थायी निषेधाज्ञा के अभिनिर्धारण हेतु आवश्यक तीनों बिन्दुओं पर विचार करने के पश्चात् काउंटर प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को आंशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थी कम 1 वाके माल

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

बमोरीकलां, तहसील मांगरोल में आराजी कुल किता 7 कुल रकबा 2.55 हेक्टर को रहन, बेचान न करें। रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित नकल सलंग्न नहीं होकर फोटो प्रतियां सलंग्न है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला इस आधार पर स्वीकार किया है कि अमरलाल ने अपने हिस्से की आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया था जो आराजी बची वह आराजी बिरधीलाल के हिस्से काश्त की थी जो बिरधीलाल उर्फ धूलीलाल ने संवत 2016 में ही प्रार्थीगण के पिता फूलचन्द के यहां गिरवी रखी थी। दौराने सैटलमेंट राजस्व कर्मचारियों ने बिरधीलाल उर्फ धूलीलाल के हिस्से की आराजी को प्रार्थीगण के खाते में दर्ज न करके त्रुटिवंश अप्रार्थी नं. 1 के खाते में दर्ज कर दी। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना है कि प्रार्थीगण के विवादित आराजियात में हक अधिकार की घोषणा मूल वाद में तय की जायेगी। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी कम 1 द्वारा भूमि के रहन बेचान करने पर न केवल प्रार्थीगण को अपने हक अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा अपितु अनावश्यक वाद कारण भी बढेगा। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज सलंग्न नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अमरलाल ने अपने हिस्से की आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दी है। इसी प्रकार पत्रावली में अन्य खातेदार बिरधीलाल उर्फ धूलीलाल के हिस्से की आराजी संवत 2016 में प्रार्थीगण के पिता फूलचन्द के यहां गिरवी रखने के तथ्यों की पुष्टि करने वाला भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनन भूल की है, इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.12.2024 खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/08/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा